"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2005—आषढ़ 10, शक 1927

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुश्री पिंकी ध्रुव निवासी ग्राम निर्राबेड़ा तहसील नगरी जिला धमतरी की निवासी हूं, मैं अपनी शादी दिनांक 11-08-2004 को करने के पश्चात् अपना उपनाम परिवर्तन कर श्रीमति पिंकी शिवराज शाह कर ली हूं, तथा इस आशय का शपथपत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: भविष्य में मुझे श्रीमति पिंकी शिवराज शाह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सुश्री पिंकी ध्रुव ग्राम निर्राबेड़ा तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़.	श्रीमति पिंकी शिवराज शाह ग्राम निर्राबेड़ा तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जांजगीर (छ.ग.)

प्ररूप क्रमांक -4
- [देखें नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा के समक्ष. प्रवंधक श्रीराम जानकी गुरुनानक मंदिर पब्लिक ट्रस्ट

यत: कि राधेश्याम पिता ओखडिया नायक, प्रबंधक ग्राम मानिकचौरा पो. मानिकचौरा व्हाया मस्तुरी जिला बिलासपुर ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 01-08-2005 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति/या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास का संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर हो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम : श्रीराम जानकी गुरुनानक मंदिर पब्लिक ट्रस्ट.

(2) संपत्ति का विवरण : ग्राम भोगहापारा, प. ह. नं. 14 रा. नि. मं. शिवरीनारायण, तहसील नवागढ़

ख. नं.	रकबा
240/2	0.16 ए.
245	1.22 ए.
246	1.75 ए.
248/2	0.68 ए.
514	1.14 ए.
738	0.66 ए.
776	1.61 ए.
804	0.79 ए.
1054	0.76 ए.
योग 6	8.77 ए.

आर. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29-01-2003

क्रमांक क/वा./अ. वि. अ./पंजीयक/2003.—चूंकि श्री जनस्वामी फाउण्डेशन (चेरिटेबल) निवासी बुढ़ापारा रायपुर (छ. ग.) ने म. प्र. (छ. ग.) पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति का पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है. अतएव-सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 11-03-2003 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची.

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1) पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता : जनस्वामी फाउण्डेशन चेरिटेबल, बुढ़ापारा रायपुर.

(2) संपत्ति : नगद - 5000/- (पांच हजार रुपये) मात्र.

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.